अध्याय– I

सामान्य

कार्यपालक सारांश

इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण	इस अध्याय में हमने बिहार सरकार के राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बजट आकलन एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता, राजस्व के बकायों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया तथा लेखापरीक्षा के प्रभाव को दर्शाया है।
राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	बिहार सरकार के राजस्व प्राप्तियों में सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 17,388.35 करोड़ का राजस्व सृजित किया गया, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 29 प्रतिशत था। वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्तियों का शेष 71 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।
निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अवलोकनों का अनुपालन नहीं किया जाना	दिसम्बर 2012 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि 4,165 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 23,327 कंडिकाएँ, जिसमें ₹ 10,847.46 करोड़ सन्निहित थे, जून 2013 तक अनुपालन के अभाव में लंबित थे। यहाँ तक कि दिसम्बर 2012 तक निर्गत किये गये 1,598 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने के चार सप्ताह के अंदर कार्यालय अध्यक्ष से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुये थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी।
पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये राशि का काफी कम वसूली	वर्ष 2007–08 से 2011–12 से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभाग/सरकार ने ₹ 1,443.43 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से 31 मार्च 2013 तक मात्र ₹ 9.54 करोड़ की वसूली की गई थी।

लेखापरीक्षा का प्रभाव	वर्ष 2012–13 के दौरान हमने वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग एवं अन्य विभागीय कार्यालयों के 281 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा 2,673 मामलों में ₹ 1,066.92 करोड़ की राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण पाया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने ₹ 50.20 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें ₹ 10.96 करोड़ से सन्निहित मामले वर्ष 2012–13 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान 29 मामलों में ₹ 70.47 लाख की वसूली की। इस प्रतिवेदन में ₹ 269.74 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से सन्निहित कर, शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड इत्यादि का कम आरोपण/आरोपण नहीं किये जाने से संबंधित 41 कंडिकाएं हैं, जिसमें 'खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ' पर एक समीक्षा शामिल है। विभाग/सरकार ने ₹ 42.76 करोड़ से सन्निहित अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें ₹ 1.80 करोड़ की वसूली की गई।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की भी आवश्यकता है ताकि तंत्र में कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा बताये गये चूकों को भविष्य में टाला जाये। सरकार लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावकारी प्रक्रिया स्थापित करने हेतु समुचित कदम उठाये। वह उन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने पर भी विचार कर सकती है, जो विहित समय सीमा के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर नहीं भेजते हैं अथवा जो समयबद्ध तरीके से हानि/बकाये मांग की वसूली हेतु कार्रवाई करने में विफल रहते हैं।

अध्याय–I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012–13 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

तालिका– 1.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	ब्योरे	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	6,172.74	8,089.67	9,869.85	12,612.10	16,253.08
	• कर भिन्न राजस्व	1,153.32	1,670.42	985.53	889.86	1,135.27
	कुल	**7,326.06**	**9,760.09**	**10,855.38**	**13,501.96**	**17,388.35**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में हिस्सा	17,692.51	18,202.58	23,978.38	27,935.23	31,900.39[1]
	• सहायता अनुदान	7,962.12	7,564.16	9,698.56	9,882.98	10,277.92
	कुल	**25,654.63**	**25,766.74**	**33,676.94**	**37,818.21**	**42,178.31**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**32,980.69**	**35,526.83**	**44,532.32**	**51,320.17**	**59,566.66**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**22**	**27**	**24**	**26**	**29**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य सरकार ने विगत वर्ष के 26 प्रतिशत के विरूद्ध कुल राजस्व प्राप्तियों का 29 प्रतिशत राजस्व (₹ 17,388.35 करोड़) सृजित किया। वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्तियों का शेष 71 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था। वर्ष 2011–12 के ₹ 13,501.96 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2012–13

[1] पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2012–13 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11–लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष–0020–निगम कर, (11,458.90 करोड़) 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, (₹ 6,860.25 करोड़) 0032–सम्पत्ति पर कर, (₹ 19.32 करोड़) 0037–सीमा शुल्क, (₹ 5,301.09 करोड़) 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, (₹ 3,602.64 करोड़) 0044–सेवा पर कर (₹ 4,658.19 करोड़) लघु शीर्ष–901–निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क –कर राजस्व में दिखलाए गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 17,388.35 करोड़) में 28.78 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से कर राजस्व में 28.87 प्रतिशत की वृद्धि एवं कर भिन्न राजस्व में 27.58 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई, जैसाकि कंडिका 1.1.2 एवं 1.1.3 में वर्णित है।

1.1.2 निम्न तालिका वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में सृजित कर राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

तालिका– 1.2

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	वर्ष 2011–12 की अपेक्षा 2012–13 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,016.47	3,839.29	4,557.18	7,476.36	8,670.79	(+) 15.98
2.	राज्य उत्पाद	679.14	1,081.68	1,523.35	1,980.98	2,429.82	(+) 22.66
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	716.19	997.90	1,098.68	1,480.07	2,173.02	(+) 46.82
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	67.62	66.63	65.22	54.69	102.55	(+) 87.51
5.	वाहनों पर कर	297.74	345.13	455.43	569.13	673.39	(+) 18.32
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	1,279.41	1,613.16	2,006.32	828.30	1,932.12	(+) 133.26
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर– पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	शून्य	शून्य	शून्य	29.56	36.95	(+) 25.00
8.	भू–राजस्व	101.74	123.96	139.02	167.49	205.45	(+) 22.66
9.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	14.43	21.92	24.65	25.52	28.99	(+) 13.60
कुल		**6,172.74**	**8,089.67**	**9,869.85**	**12,612.10**	**16,253.08**	**(+) 28.87**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

संबंधित विभागों ने वर्ष 2011–12 की तुलना में 2012–13 के दौरान कर राजस्व के संग्रहण में भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर : यह वृद्धि (15.98 प्रतिशत), 26 जून 2012 के प्रभाव से तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों पर कर का दर 13.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तथा 22 जून

2012 के प्रभाव से कार्य संविदा पर स्रोत पर कर की कटौती की दर चार प्रतिशत से पाँच प्रतिशत बढ़ाने के कारण हुई।

मुद्रांक एवं निबंधन फीस : यह वृद्धि (46.82 प्रतिशत), सम्पूर्ण राज्य के शहरी क्षेत्रों के न्यूनतम मूल्य पंजी को 31 मार्च 2012 से पुनरीक्षित किए जाने के कारण हुई।

मोटर वाहनों पर कर : यह वृद्धि (18.32 प्रतिशत), 31 मार्च 2012 के प्रभाव से व्यक्तिगत वाहनों पर कर के दर में वृद्धि किए जाने के कारण हुई।

भू–राजस्व : यह वृद्धि (22.66 प्रतिशत), अन्य विभागों/प्राधिकारों से भू–अर्जन हेतु स्थापना प्रभारों के संग्रहण तथा सरकारी भूमि के अंतरण हेतु वाणिज्यिक संगठनों से 25 वर्षों के लिए वार्षिक लगान के पूंजीगत मूल्य के संग्रहण के कारण हुई।

मई एवं अगस्त 2013 के बीच माँगे जाने के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता का कारण सूचित नहीं किया (नवंबर 2013)।

1.1.3 निम्न तालिका वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

तालिका– 1.3

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	वर्ष 2011–12 की अपेक्षा 2012–13 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	304.57	353.27	237.96	573.70	167.12	(–) 70.87
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	6.15	6.78	7.64	11.04	16.60	(+) 50.36
3.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	245.00	319.93	405.59	443.10	511.08	(+) 15.34
4.	विविध सामान्य सेवाएँ	385.82	770.28	0.34	(–)383.78	22.03	(+) 105.74
5.	मध्यम सिंचाई	10.64	14.80	15.45	17.59	13.99	(–) 20.47
6.	चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य	17.25	14.08	15.33	23.91	41.02	(+) 71.56
7.	मत्स्य पालन	6.87	7.87	7.28	10.16	11.79	(+) 16.04
8.	पथ एवं पुल	26.40	30.02	39.60	60.35	32.56	(–) 46.05
9.	पुलिस	9.44	11.89	11.85	9.26	25.01	(+) 170.09
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	8.09	9.42	19.98	11.49	10.01	(–) 12.88
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	133.09	132.08	224.51	113.04	284.06	(+) 151.29
कुल		**1,153.32**	**1,670.42**	**985.53**	**889.86**	**1,135.27**	(+) **27.58**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

जैसाकि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, यह वृद्धि (15.34 प्रतिशत) बालू घाटों की अधिक बंदोबस्ती के कारण हुई।

वर्ष 2012–13 के बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार, कर भिन्न राजस्व के संग्रहण में भिन्नता का कारण नीचे दिया गया है:

ब्याज प्राप्तियाँ : यह कमी (70.87 प्रतिशत) मुख्य रूप से विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज एवं नकद शेषों के निवेश पर ब्याज की वसूली में कम प्राप्ति के कारण हुई।

पुलिस : यह वृद्धि (170.09 प्रतिशत), मुख्य रूप से फीस, दंड एवं जब्ती के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य : यह वृद्धि (71.56 प्रतिशत), मुख्य रूप से कर्मचारी राज्य बीमा योजना से अधिक प्राप्तियों एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत रोगियों से प्राप्ति/योगदान के कारण हुई।

मई एवं अगस्त 2013 के बीच माँगे जाने के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (नवंबर 2013)।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ

वर्ष 2012–13 के लिए कर एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ नीचे दी गई है:

तालिका– 1.4

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नताएँ वृद्धि (+) या ह्रास (–)	प्रतिशतता
•	**कर राजस्व**				
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,071.00	8,670.79	(+) 599.79	(+) 7.43
2.	राज्य उत्पाद	2,715.00	2,429.82	(–) 285.18	(–) 10.50
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1,906.00	2,173.02	(+) 267.02	(+) 14.01
4.	वाहनों पर कर	644.40	673.39	(+) 28.99	(+) 4.50
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	60.70	102.55	(+) 41.85	(+) 68.95
6.	भू–राजस्व	185.00	205.45	(+) 20.45	(+) 11.05
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	41.99	28.99	(–) 13.00	(–) 30.96
8.	माल एवं यात्रियों पर कर	2,800.00	1,932.12	(–) 867.88	(–) 31.00
9.	आय तथा व्यय पर अन्य कर– व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	31.00	36.95	(+) 5.95	(+) 19.19
•	**कर भिन्न राजस्व**				
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	470.00	511.08	(+) 41.08	(+) 8.74
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	7.05	16.60	(+) 9.55	(+) 135.46
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	263.74	167.12	(–) 96.62	(–) 36.63
4.	मध्यम सिंचाई	4.00	13.99	(+) 9.99	(+) 249.75

(श्रोतः राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत); वित्त लेखे, बिहार सरकार)

भू–राजस्व : यह वृद्धि (11.05 प्रतिशत), अन्य विभागों/प्राधिकारों से भू–अर्जन हेतु स्थापना प्रभारों के संग्रहण तथा सरकारी भूमि के अंतरण हेतु वाणिज्यिक संगठनों से 25 वर्षों के लिए वार्षिक लगान के पूंजीगत मूल्य के संग्रहण के कारण हुई।

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग : यह वृद्धि (8.74 प्रतिशत) बालू घाटों की अधिक बंदोबस्ती के कारण हुई।

माँगे जाने (मई एवं अगस्त 2013 के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2012–13 की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ वर्ष 2011–12 में संग्रहण पर व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गई है:

तालिका– 1.5

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	2011–12 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	वाणिज्य–कर[2]	10,771.40	78.86	0.73	0.83
2.	राज्य उत्पाद	2,429.82	42.67	1.76	2.98
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	2,173.02	45.50	2.09	1.89
4.	वाहनों पर कर	673.39	25.28	3.75	2.96

(श्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2012–13 के दौरान मुद्रांक एवं निबंधन फीस तथा वाहनों पर कर के संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता, वर्ष 2011–12 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी।

संग्रहण की लागत में कमी लाने हेतु सरकार को उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.4 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

विभागों द्वारा यथा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षों से संबंधित 31 मार्च 2013 को बकाया राजस्व ₹ 1,631.74 करोड़ था, जिसमें से ₹ 666.65[3] करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे, जिनका ब्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है:

---

2 वाणिज्य–कर विभाग के सकल संग्रहण में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

3 भू–राजस्व को छोड़ कर, जिसका ब्योरा विभाग द्वारा नहीं भेजा गया है।

तालिका– 1.6

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाया राशि	पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	अभियुक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	916.32	437.78	₹ 916.32 करोड़ में से ₹ 334.30 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 79.58 करोड़ एवं ₹ 13.11 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी एवं ₹ 13.78 करोड़ की वसूली सुधार/अपील की राशि की समीक्षा हेतु रोकी गई थी। ₹ 475.55 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
2.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	2.40	2.34	₹ 2.40 करोड़ में से ₹ 1.49 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 69.08 लाख की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 21.45 लाख अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
3.	माल एवं यात्रियों पर कर (प्रवेश कर)	142.31	3.17	₹ 142.31 करोड़ में से ₹ 10.29 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 5.01 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 127.01 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर (मनोरंजन कर)	10.73	4.05	₹ 10.73 करोड़ में से ₹ 9.47 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 4.52 लाख की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 1.22 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
5.	राज्य उत्पाद	66.61	9.00	₹ 66.61 करोड़ में से ₹ 8.95 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 1.83 करोड़ एवं ₹ 9.30 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी। ₹ 25.12 लाख एवं ₹ 5.33 लाख की वसूली सुधार/आवेदन की समीक्षा हेतु तथा व्यवसायी/पक्ष के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी। ₹ 35.74 लाख माफी के योग्य थे तथा ₹ 55.07 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
6.	वाहनों पर कर	185.47	113.06	₹ 185.47 करोड़ की पूर्ण राशि की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे।
7.	भू–राजस्व	107.21	उपलब्ध नहीं	माँगें जाने (मई एवं अगस्त 2013 के बीच) के बावजूद बकायों की संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किये गये थे।

8.	खान एवं खनिज	200.69	97.25	₹ 200.69 करोड़ में से ₹ 184.59 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। विभाग ने शेष बकायों के लिए कार्यवाही की स्थितियाँ प्रस्तुत नहीं किये।
कुल		**1,631.74**	**666.65**	

(श्रोतः विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

1.5 कर का अपवंचन

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले एवं सृजित माँग का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, नीचे दिये गए हैं:

तालिका–1.7

विभाग का शीर्ष	31 मार्च 2012 को बकाये मामले	वर्ष 2012–13 के दौरान पता लगाए गए मामले	योग	मामलों की संख्या जिनका निर्धारण/अनुसंधान पूरा किया गया तथा वर्ष 2012–13 के दौरान अर्थदण्ड इत्यादि सहित सृजित अतिरिक्त माँग		31 मार्च 2013 तक लम्बित मामलों की संख्या
				मामलों की सं0	राशि (₹ लाख में)	
वाणिज्य–कर	189	426	615	321	209.33	294

(श्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है कि वाणिज्य–कर विभाग में 31 मार्च 2013 तक के कुल बकाये मामलों का सिर्फ 52 प्रतिशत ही निष्पादित किया गया था।

1.6 वापसी

वर्ष 2012–13 के आरम्भ में वापसी से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान दी गई वापसी की अनुमति तथा वर्ष के अंत में (मार्च 2013) लम्बित मामले, जैसा कि वाणिज्य–कर विभाग द्वारा सूचित किए गए थे, नीचे दिये गए हैं :

तालिका– 1.8

(₹ लाख में)

क्रम सं0	ब्योरे	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		प्रवेश कर		मनोरंजन कर		राज्य उत्पाद	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	1,383	8,226.09	103	96.74	6	2.00	379	923.90
2.	वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे	457	12,825.26	12	435.17	शून्य	शून्य	502	1,234.61
3.	वर्ष की अवधि में की गई वापसी	132	12,984.42	15	423.08	शून्य	शून्य	443	1,151.98
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1,708	8,066.93	100	108.83	6	2.00	438	1,006.53

(श्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

यह देखा जा सकता है कि बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं राज्य उत्पाद से संबंधित काफी संख्या में वापसी मामले लंबित थे।

सरकार लंबित वापसी मामलों को निपटाये जाने हेतु प्रभावकारी कदम उठा सकती है।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.7.1 लेखापरीक्षा अवलोकनों का अनुपालन

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों की विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। उन निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के रूप में, जिनमें निरीक्षण के दौरान पाई गई तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को इसकी प्राप्ति से चार सप्ताह के अंदर प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन की कंडिका 199 के अनुसार लेखापरीक्षा कार्यालय महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों की प्रति कार्यालय प्रमुख को भेजेगें तथा विभाग के प्रमुख का यह कर्तव्य है कि उचित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु ऐसे मामलों को देखें तथा लेखापरीक्षा कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदित करें।

दिसम्बर 2012 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से स्पष्ट था कि जून 2013 के अंत तक 4,165 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 10,847.46 करोड़ से सन्निहित 23,327 कंडिकाएँ लंबित थीं, जैसा कि विगत दो वर्षों के तत्सबंधी आँकड़ों के साथ नीचे दी गई है:

तालिका– 1.9

	जून 2011	जून 2012	जून 2013
बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	4,259	3,858	4,165
लंबित कंडिकाओं की संख्या	22,364	20,979	23,327
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	10,404.30	8,754.19	10,847.46

30 जून 2013 तक बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की विभागवार विवरणी तथा सन्निहित राशि निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका– 1.10

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य–कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	652	7,620	5,136.46
		प्रवेश कर	143	322	74.06
		विद्युत शुल्क	21	25	16.74

		मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि	13	21	0.61
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	राज्य उत्पाद	470	2,388	1,574.59
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	1,471	6,102	1,132.72
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	517	3,337	1,261.82
5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	487	1,333	229.72
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	391	2,179	1,420.74
कुल			**4,165**	**23,327**	**10,847.46**

यहाँ तक कि दिसम्बर 2012 तक निर्गत किए गए 1,598 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालय अध्यक्षों से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिए उचित कदम उठाये। उत्तरदायित्व प्रणाली को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से निर्धारित समय सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया माँग वसूल करने में विफल रहे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु भी विचार कर सकती है।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के त्वरित निष्पादन की प्रगति एवं अनुश्रवण करने के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों (विभिन्न अवधियों के दौरान) का गठन किया। वर्ष 2012–13 के दौरान वाणिज्य–कर विभाग के साथ एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें 14 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 32 कंडिकाएं निष्पादित की गई। पूरे वर्ष (2012–13) के दौरान सिर्फ एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित किया जाना सरकार को ज्यादा संख्या में बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के निष्पादन से वंचित कर दिया था, जैसा कि पूर्ववर्त्ती कंडिका में वर्णित है।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु सरकार नियमित अंतराल पर विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन हेतु उपयुक्त कदम उठा सकती है।

1.7.3 चालू वर्ष के प्रतिवेदन की प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने सभी विभागों को निर्देश निर्गत (अगस्त 1967) किया था कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजें। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन की कंडिका 207 (1) के अनुसार महालेखाकार प्रारूप कंडिकाओं को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित करते हैं। विभागों से उत्तर की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 41 प्रारूप कंडिकाओं, जिसमें एक समीक्षा भी शामिल है, को संबंधित विभागों के सचिवों को जून और सितम्बर 2013 के बीच अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किया गया था।

प्रधान सचिव, परिवहन विभाग तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य–निषेध विभाग के आयुक्त–सह–सचिव ने क्रमशः 10 एवं चार प्रारूप कंडिकाओं का आंशिक उत्तर भेजा। सरकार ने खान एवं खनिज से प्राप्तियों पर समीक्षा का भी उत्तर भेजा। वाणिज्य–कर विभाग ने भी 10 कंडिका का आंशिक उत्तर भेजा।

1.7.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वित्त विभाग, बिहार सरकार के अनुदेशों की हस्तक (1998) के अनुसार संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी विधानसभा सचिवालय को लेखापरीक्षा द्वारा सम्पादन किये जाने के बाद दो महीने के भीतर प्रस्तुत करना है। ऐसी टिप्पणियाँ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के तिथि से दो माह के भीतर लोक लेखा समिति के सूचना की प्रतीक्षा किए बिना प्रस्तुत करना है।

हमने स्थिति की समीक्षा की एवं पाया कि जुलाई 2013 तक 10 विभागों द्वारा वर्ष 1990–91 एवं 2010–11 के बीच के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 57 कंडिकाओं के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। विलम्ब की अवधि आठ माह से लेकर 19 वर्षों से अधिक तक थी, जैसा कि नीचे तालिका में उल्लिखित है:

तालिका– 1.11

क्रम सं0	विभाग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	माह, जिसमें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया	माह, जिसमें विभागीय टिप्पणियाँ बकाये हुए	कंडिकाओं की संख्या जो विभागीय टिप्पणियों के लिए बकाये थे	विलम्ब (माह में)
1.	वित्त	2004–05	मार्च 2006	जून 2006	01	85
2.	वित्त (वाणिज्य–कर)	2005–06 से 2010–11	जुलाई 2007 से अगस्त 2012	अक्तूबर 2007 से नवंबर 2012	30	8 से 69
3.	राज्य उत्पाद	1990–91	मार्च 1994,	जून 1994	01	229
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार	2005–06, 2008–09	जुलाई 2007, जुलाई 2010	अक्तूबर 2007, अक्तूबर 2010	02	33 से 70
5.	निबंधन	2003–04	दिसम्बर 2005	मार्च 2006	01	88
6.	परिवहन	2010–11	अगस्त 2012	नवंबर 2012	06	8

7.	वन एवं पर्यावरण	2005–06 से 2007–08	जुलाई 2007 से जुलाई 2009	अक्तूबर 2007 से अक्तूबर 2009	06	45 से 69
8.	जल संसाधन	1995–96, 1997–98, 2005–06 से 2010–11	मार्च 1997, अगस्त 1999, जुलाई 2007 से अगस्त 2012	जून 1997, नवंबर 1999, अक्तूबर 2007 से नवंबर 2012	08	8 से 193
9.	शहरी विकास	1997–98	अगस्त 1999	नवंबर 1999	01	164
10.	पथ निर्माण	2010–11	अगस्त 2012	नवंबर 2012	01	8
कुल					**57**	

व्याख्यात्मक टिप्पणी को प्रस्तुत करने में विलम्ब इस बात का द्योतक है कि कार्यालयों/विभागों के अध्यक्षों ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों, जिसमें अवसूलित राजस्व की काफी राशि सन्निहित थी, पर त्वरित कार्रवाई नहीं की, इनमें से कुछ की वसूली अब कालातीत हो सकती है।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों के निराकरण से संबंधित क्रिया–विधि के विश्लेषण के क्रम में **वाणिज्य–कर विभाग** से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर सरकार/विभागों द्वारा की गई कार्रवाईयों का मूल्यांकन किया गया। विगत दस वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ विभाग की क्रिया–विधि एवं वर्ष 2002–03 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाएँ 1.8.1 एवं 1.8.2 में उल्लिखित हैः

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

अगस्त 2013 तक विगत दस वर्षों के दौरान वाणिज्य–कर से संबंधित निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाओं की सारांशित स्थिति नीचे तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका–1.12

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निष्पादन			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि
2002–03	281	2,575	1,350.56	39	287	11.20	शून्य	शून्य	शून्य	320	2,862	1,361.76
2003–04	320	2,862	1,361.76	29	230	13.59	शून्य	शून्य	शून्य	349	3,092	1,375.35
2004–05	349	3,092	1,375.35	67	537	188.64	शून्य	शून्य	शून्य	416	3,629	1,563.99
2005–06	416	3,629	1,563.99	79	399	158.76	शून्य	शून्य	शून्य	495	4,028	1,722.76
2006–07	495	4,028	1,722.76	62	292	59.60	शून्य	शून्य	शून्य	557	4,320	1,782.35
2007–08	557	4,320	1,782.35	52	288	186.37	शून्य	शून्य	शून्य	609	4,608	1,968.72
2008–09	609	4,608	1968.72	45	292	55.97	शून्य	शून्य	शून्य	654	4,900	2,024.69
2009–10	654	4,900	2024.69	58	598	673.76	शून्य	शून्य	शून्य	712	5,498	2,698.45
2010–11	712	5,498	2698.45	19	357	1,293.97	शून्य	शून्य	शून्य	731	5,855	3,992.43
2011–12	731	5,855	3992.43	39	778	387.84	1	97	22.18	769	6,536	4,358.08

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के अत्यधिक संचयन को देखते हुए लंबित कंडिकाओं (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन), निष्पादन लेखापरीक्षा, माननीय न्यायालय में लंबित मामलों तथा गबन से संबंधित मामलों, जिसमें लोक लेखा समिति/माननीय न्यायालयों का अंतिम निर्णय बाकी है, को छोड़कर वर्ष 1995–96 तक के निरीक्षण प्रतिवेदनों और कंडिकाओं के निष्पादन की जिम्मेदारी विभागों पर छोड़ दिया गया था (अगस्त 2006)।

1.8.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दों पर सरकार/विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन

1.8.2.1 स्वीकृत मामलों में वसूली

विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाएँ एवं विभाग द्वारा स्वीकृत मामले की स्थिति नीचे वर्णित है:

तालिका– 1.13

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की सं0	कंडिकाओं में सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत कंडिकाओं की सं0	स्वीकृत कंडिकाओं में सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा प्रतिवेदित मामलों में की गई वसूली की स्थिति (₹ लाख में)
2002–03	9	28.40	1–आंशिक	0.06	39.58
2003–04	8	301.71	1–आंशिक	9.04	500.90
2004–05	9	34.36	9(3–आंशिक)	19.76	56.31
2005–06	18	21.38	7–आंशिक	10.95	56.55
2006–07	12	46.08	2–आंशिक	8.44	18.52
2007–08	12	153.70	5–आंशिक	115.63	5.64
2008–09	15	619.33	11(4–आंशिक)	293.17	76.39
2009–10	13	841.96	11(7–आंशिक)	716.28	38.35
2010–11	22	863.17	15(13–आंशिक)	828.25	113.29
2011–12	16	261.78	11(8–आंशिक)	58.84	शून्य
कुल	**134**	**3,171.87**	**73(51–आंशिक)**	**2,060.42**	**905.53**

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि वर्ष 2002–03 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 134 कंडिकाओं में सन्निहित ₹ 3,171.87 करोड़ राशि में से सरकार/विभाग ने ₹ 2,060.42 करोड़ से सन्निहित 73 कंडिकाओं को स्वीकार किया जिसके विरूद्ध मात्र ₹ 9.06 करोड़ (0.44 प्रतिशत) की वसूली की जा सकी।

सरकार/विभाग स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित सरकारी राजस्व की वसूली के लिए प्रभावकारी कदम उठा सकती है।

1.8.2.2 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा किए गए समीक्षा प्रारूप प्रतिवेदन को संबंधित विभागों/सरकार को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन समीक्षा के प्रतिवेदनों पर अन्तिम सम्मेलन (एक्जिट कन्फरेंस) में भी विचार विमर्श किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए समीक्षा को अंतिम रुप देने के समय विभागों/सरकार के मंतव्यों को समाहित किया जाता है।

वाणिज्य–कर विभाग की प्राप्तियों पर वर्ष 2002–03 एवं 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 31 अनुशंसाओं से समाहित छः समीक्षा लेखापरीक्षा शामिल थी। विभाग ने

वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में किये गये अनुशंसाओं को स्वीकार किया। शेष समीक्षाओं पर अनुशंसाओं की स्वीकृति तथा उनपर की गई कार्यवाई से संबंधित सूचना हेतु हम प्रतीक्षित (नवंबर 2013) हैं, जैसा कि नीचे उल्लेखित है:

तालिका– 1.14

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षाओं का नाम	अनुशंसाओं की संख्या
2002–03	घोषणा प्रपत्रों/प्रमाणपत्रों की लेखांकन एवं उपयोगिता	2
2003–04	बिक्री कर के राजस्व के बकाये	5
2007–08	कार्य/आपूर्ति संविदा पर बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण	4
2008–09	बिहार में मूल्यवर्द्धित कर का क्रियान्वयन	8
2010–11	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता	6
2011–12	वाणिज्य–कर विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	6

1.9 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.9.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 एवं 2011–12 के बीच के वर्षों के दौरान विभागों/सरकार ने ₹ 1,443.43 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से 31 मार्च 2013 तक मात्र ₹ 9.54 करोड़ की राशि वसूल की गई, जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका– 1.15

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकार की गई राशि	वसूल की गई राशि
2007–08	523.80	417.47	5.50
2008–09	838.92	709.78	0.78
2009–10	977.82	96.16	0.45
2010–11	893.61	155.08	2.34
2011–12	568.99	64.94	0.47
कुल	**3,803.14**	**1,443.43**	**9.54**

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि स्वीकार की गई राशि की तुलना में स्वीकार किये गये मामलों से संबंधित वसूली काफी कम (0.66 प्रतिशत) थी।

1.9.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से हमने ₹ 7,198.51 करोड़ से सन्निहित 8,041 लेखापरीक्षा अवलोकन दिया, जिसमें से विभागों/सरकार ने ₹ 2,820.94 करोड़ को स्वीकार किया तथा 31 मार्च 2013 तक ₹ 6.75 करोड़ की राशि की वसूली की, जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका– 1.16

वर्ष	अवलोकन दिये गये मामलों की संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई राशि	वसूल की गई राशि
2007–08	1,253	843.09	221.72	1.05
2008–09	1,220	965.35	684.49	1.17
2009–10	1,951	2,146.31	1,696.54	0.93
2010–11	1,802	1,942.93	80.26	0.89
2011–12	1,815	1,300.83	137.93	2.71
कुल	**8,041**	**7,198.51**	**2,820.94**	**6.75**

यहाँ तक कि स्वीकार किये गये मामलों के विरूद्ध नगण्य वसूली सरकारी राशि की वसूली में तत्परता का अभाव संसूचित करता है।

सरकार को कम से कम स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित राशि की तत्परता से वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.9.3 निरीक्षण प्रतिवेदन, 2012–13 की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2012–13 के दौरान हमने वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग एवं अन्य विभागीय कार्यालयों के 281 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा 2,673 मामलों में ₹ 1,066.92 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण पाया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 288 मामलों में सन्निहित ₹ 50.20 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 10.96 करोड़ से सन्निहित 103 मामले वर्ष 2012–13 के दौरान लेखापरीक्षा में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान 29 मामलों में ₹ 70.47 लाख संग्रहित किया।

1.9.4 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपित किए जाने से संबंधित ₹ 269.74 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 41 कंडिकाएँ (उपरोक्त संदर्भित वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में समाहित नहीं किए जा सके थे, से चयनित) हैं, जिसमें **'खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ'** पर एक समीक्षा शामिल है। विभागों/सरकार ने ₹ 42.76 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 1.80 करोड़ की वसूली की गई। इन कंडिकाओं/समीक्षा को अनुवर्ती अध्याय II से VI में चर्चा की गई है।